1972

रजिस्ट्री सं० डी० 221

REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 45] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 1972/माघ 13, 1893

No 45] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBURARY 2, 1972/MAGHA, 13, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd February 1972.

G. S. R. 68 E.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 11 of the Salariesand Allowances of Ministers Act, 1952 (58 of 1952), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957, namely :—

1. (1) These rules may be called the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Amendment Rules, 1972.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Ministers' (Allowances, Medical Treatment and other Privileges) Rules, 1957,—

(1) in clause (iv) of rule 2, the following words shall be added at the end, namely:—
"or a coupe in the air-conditioned sleeper class".

(2) after rule 2, the following rule shall be inserted before Section I, namely :—

"2A. *Calculation of road mileage and mileage allowance in kilometers.*—The road mileage andthe mileage allowanee payable under these rules shall be calculated with reference to distance in kilometers.";

(3) rule 9 shall be re-numbered as sub-rule (1) thereof and,—

(a) in sub-rule (1) as so re-numbered, for the words "A Minister may when travelling in a reserved compartment on requisition be allowed, at his option, either", the following words shall be substituted, namely :—

"A Minister, when travelling in a reserved compartment on requisition shall be entitled without payment to accommodation for two personal servants and may be allowed at his option, either";

(b) after sub-rule (1) as so re-numbered, the following sub-rule shall be inserted, namely:—

"(2) A Minister when travelling in a reserved compartment in a train the fare in respect of which includes, charges for meals provided in the train, the allowance for incidentals or actual travelling expenses shall be restricted to one-half of the amount to which he is entitled under sub-rule (1).";

(4) in rule 10, after the words and figure "under rule 7, he ", the following words shall be inserted, mamely :—

"shall be entlited without payment to accommodation for two personal servants and";

(5) in sub-rule (2) of rule 12, for the words "annas eight per mile", the words "thirty-two paise per kilometer" shall be substituted;

(6) in clause (a) of sub-rule (1) of rule 13, for the words "six maunds", wherever they occur, the figures and word "224 kilograms" shall be substituted;

(7) in sub-rule (3) of rule 17, for the words "five miles", the words "eight kilometers" shal be substituted.

[No. 14/30/70-Pnb.II]
K. R.PRABHU Jt. Secy.

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 फरवरी, 1972

सा०का०नि०68(ई)–मंत्रियों के सम्बलमों और भत्तों से संबंधित अधिनियम 1952 (1952 का 58) की धारा 11की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करत हुए केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा मंत्रियों के (भत्त, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में और आग संशोधन करने के लिये निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:—

1. (1) इन नियमों का नाम मंत्रियों के (भत्ते, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) संशोधन नियम, 1972 होगा ।

(2) ये शासकीय राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. मंत्रियों के (भत्त, चिकित्सीय उपचार और अन्य विशेषाधिकार) नियम, 1957 में,

(1) नियम 2 के खंड (IV) में अन्त में निम्नलिखित शब्द जोड़ दिये जाएंगे, अर्थात्:–

"या वातानुकूलित शायिका श्रेणी में कूपे" ;

(2) नियम 2 के पश्चात् खंड 1 के पहले निम्नलिखित नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"2–क सड़क मील भत्ता और मील दूरी भत्ता की किलोमीटरों में संगणना।–इन नियमों के अधीन संदेय सड़क मील भत्ता और मील दूरी भत्ता, दूरी के संदर्भ में किलोमीटरों में संगणित किया जाएगा।" ;

(3) नियम 9, उसके उप नियम (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और,—

(क) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम (1) में "किसी मंत्री को जब वह पहले से ही ऐसी अपेक्षा करके आरक्षित कम्पार्टमेंट में यात्रा कर रहा हो, उसके विकल्प पर, या तो ——————————अनुज्ञात किया जा सकेगा ।" शब्दों के स्थान पर निम्नलिखित शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:—

"जब कोई मंत्री, पहले से ही ऐसी अपेक्षा करके आरक्षित कम्पार्टमेंट में यात्रा कर रहा हो तब वह बिना संदाय किये दो निजी सेवकों की जगह का हकदार होगा और उसके विकल्प पर दोनों में से किसी एक के लिये जगह अनुज्ञात की जा सकेगी' ;

(ख) इस प्रकार पुनः संख्यांकित उप-नियम (7) के पश्चात् निम्नलिखित उप-नियम अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:—

"(2) जब कोई मंत्री रेलगाड़ी के आरक्षित कम्पार्टमेंट में यात्रा कर रहा हो जिसके भाड़े में रेल गाड़ी में दिये जाने वाले भोजन का प्रभार सम्मिलित है, तब आनुषंगिक या वास्तविक व्यय के लिये भत्ता उस रकम के आधे तक सीमित होगा जिसका वह उप-नियम (I) के अधीन हकदार है ।" ;

(4) नियम 10 में, "नियम 7 के अधीन, वह" शब्दों और अंक के पश्चात् निम्नलिखित शब्द अन्तःस्थापित किये जाएंगे, अर्थात्:—

"बिना संदाय किये दो निजी सेवकों की जगह का हकदार होगा और "

(5) नियम 12 के उप-नियम (2) में "आठ आना प्रति मील" शब्दों के स्थान पर "बत्तीस पैसे प्रति किलोमीटर" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ;

(6) नियम 13 के उप-नियम (I) के खंड (क) में "छह मन" शब्द जहां कहीं वे आये हों, के स्थान पर "224 किलोग्राम" अंक और शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे;

(7) नियम 17 के उप-नियम (3) में, "पांच मील" शब्दों के स्थान पर "आठ किलोमीटर" शब्द प्रतिस्थापित किये जाएंगे ।

[सं० 14/30/70 पब्लिक-1]

के० आर० प्रभु, सयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972